(93)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR (LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. /Sur./ 249 **Date:** 15.09.2011

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Vikas Bhawan, Beli Road,
Patna

Sir,

Audit Report No **250/2011-12** on the accounts of **Nagar Panchayat, Hisua** for the period **2007-08 to 2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely,

Encl: - As above

15/9/11
Sr. Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing,

Bihar, Patna

(92)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्याः– 250/2011–12
नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा)
वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10

1. **प्रस्तावना :–**

नगर पंचायत, हिसुआ, जिला – नवादा की निधि की वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय अंकेक्षण शाखा, बिहार, पटना के दल द्वारा दिनांक 24.03.2011 से दिनांक 31.03.2011 में की गयीः–

2. **प्रशासन :–**

क0 सं0	अध्यक्ष /मुख्य पार्षद	कार्यकाल
(i)	श्री दिलीप कुमार	दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 08.06.2007 तक
(ii)	श्रीमति गीता देवी	दिनांक 09.06.2007 से दिनांक 31.03.2010 तक

क0 सं0	उपाध्यक्ष/उप मुख्य पार्षद	कार्यकाल
(i)	श्री राम करण पासवान	दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 31.03.2010 तक

क0 सं0	कार्यपालक पदाधिकारी	कार्यकाल
(i)	श्री रंग नाथ चौधरी	दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 20.04.2007 तक
(ii)	अनुपलब्ध	दिनांक 21.04.2007 से दिनांक 13.07.2007 तक
(iii)	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	दिनांक 14.07.2007 से दिनांक 03.06.2008 तक
(iv)	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	दिनांक 04.06.2008 से दिनांक 31.03.2010 तक

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्रः–**

लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये एवं नमूना जॉच किये गये अभिलेखों की सूची लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट I पर तथा असंधारित/अनुपलब्ध अभिलेखों की सूची परिशिष्ट I (क) पर दी गयी है।

4. **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन :–**

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से मात्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 565 वर्ष 2007–08 जिसकी लेखापरीक्षा की अवधि वित्तीय वर्ष 2001–02 से वर्ष 2006–07 थी का अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया। अनुपालन प्रतिवेदन की जॉच उपलब्ध कराई गयी लेखा पंजियों एवं अभिलेखों के आधार पर की गयी। लेखा परीक्षा द्वारा की गयी जॉच के आधार पर निम्नांकित कंडिकाओं को निरस्त करने हेतु अनुशंसा की गयी हैः–

कंडिका संख्या :– 7, 9 (ii), 12 (ii), 13 (i), 14(i), 14(ii), 16, 17(i), 17(ii), 18, 20, 21(i), 21(ii), 21(iii), 23 एवं 25

91

लेखापरीक्षा पदाधिकारी/अधिभार के पत्रांक एल0ए0–सर/कम्पलैंस/13933/2731 दिनांक 07.09.2010 के अनुसार कंडिका संख्या – 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 26 और 28 को पहले ही निरस्त किया जा चुका है।

अन्य लम्बित कंडिकाओं का भी अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर आगामी लेखापरीक्षा को दिखाया जाय। अन्य पूर्ववती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का भी अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर आगामी लेखापरीक्षा को जॉच हेतु उपलब्ध कराया जाय।

5. लेखापरीक्षा की मुख्य उपलब्धियॉः–

लेखा परीक्षा की मुख्य उपलब्धियॉ निम्नलिखित हैः–

क0 सं0	कंडिका सं0	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	राशि ₹
1	11	उपयोग नहीं की गई अनुदान राशि	46,65,331.00
2	13	गृहकर, शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की बकाया राशि	4,03,868.13
3	15	बकाया दूकान किराया	2,47,050.00
4	18	बन्दोबस्ती धारको से 3% मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं	1,12,660.53
5	19	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली की गई राशि सरकारी खाते में जमा नहीं	
		शिक्षा उपकर	2,50,137.93
		स्वास्थ्य उपकर	2,24,980.05
6	20	स्वामित्व की कटौती की गई राशि सरकारी खाते में जमा नहीं	68,371.00
	तथैव	वाणिज्य कर की राशि राज्य सरकार के खाते में जमा नहीं	1,54,646.00
	तथैव	आयकर की राशि केन्द्र सरकार के खाते में जमा नहीं	1,98,629.00
7	22	अतिरिक्त ढुलाई व्यय का भुगतान (अंकेक्षण आपत्ति के अधीन)	1,39,075.00
8	23	अपूर्ण योजना में निष्फल व्यय (वसूली हेतु प्रस्तावित)	6,10,509.00
9	25	विशेष सफाई पर व्यय (अंकेक्षण आपत्ति के अधीन)	4,68,853.00
10	26	कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान (अंकेक्षण आपत्ति के अधीन)	12,79,857.00
11	29	अति पुराना बकाया अग्रिम वसूली हेतु प्रस्तावित	1,74,168.75

उपर्युक्त अनियमितताओं का वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया हैं।

6. अधिदृश्य :–

नगर पंचायत मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, ऋण एवं स्वयं के श्रोतों से प्राप्त आय यथा कर संग्रह की राशि, डाक द्वारा की गयी निलामी से प्राप्त राशि, दूकान किराया इत्यादि से वित्तपोषित होती है। वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10 तक की अवधि में वित्तीय अधिदृश्य निम्नांकित थाः–

वित्तीय वर्ष	वर्ष 2007–08 (₹में)	वर्ष 2008–09 (₹में)	2009–10 (₹में)
प्रारंभिक शेष	39,89,606.40	68,30,289.40	86,45,906.40
प्राप्तियॉ (+)	45,35,294.00	77,48,682.00	82,25,551.31
योग	85,24,900.40	1,45,78,971.40	1,68,71,457.71
व्यय	(–) 16,94,611.00	59,33,065.00	80,63,412.00
अन्तशेष	68,30,289.40	86,45,906.40	88,08,045.71

(विस्तृत विवरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट II में दिया गया है।)

नगर पंचायत गृहकर इत्यादि का पुनरीक्षण कराने का प्रयास करें ताकि आय में वृद्धि हो सके साथ ही नये आय श्रोतों के सृजन करने के भी प्रयास किये जायें।

7. **अन्तशेषः–**

नगर पंचायत के लेखापाल की रोकड़बही एवं नगर पंचायत द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों के पासबुकों के अनुसार दिनांक 31.03.2010 को अन्तशेष निम्नलिखित था:–

1.	कोषागार पी0एल0 खाता संख्या 844800109000100 के अनुसार	32,38,819.00	
2.	नगर पंचायत कोष पंजाब नेशनल बैंक हिसुआ का चालू खाता संख्या CA 0685002100001003 के अनुसार	13,82,477.00	
3.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का पंजाब नेशनल बैंक, हिसुआ का बचत खाता संख्या 0685000100138521 के अनुसार	7,21,027.00	
4.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (USEP & SUME) का पंजाब नेशनल बैंक, हिसुआ का बचत खता संख्या 0685000100138442 के अनुसार	56,764.00	
5	बालिका समृद्धि योजना का पंजाब नेशनल बैंक, हिसुआ का बचत खाता संख्या –0685000100139618 के अनुसार	74,849.00	
6	बस पड़ाव मद का पंजाब नेशलन बैंक का बचत खाता संख्या– 0685000100173418 के अनुसार	12,88,909.00	
7	बी0आर0जी0एफ0, पी0एन0बी0, नवादा का बचत खाता संख्या – 2711000100167800 के अनुसार	21,23,571.00	
8	मुख्य मंत्री शहरी विकास योजना का पंजाब नेशनल बैंक हिसुआ का बचत खाता सं0 – 0685000100863885 के अनुसार	2,59,327.00	
	कुल –	**91,45,743.40**	**91,45,743.40**
	लेखापाल की रोकड़बही के अनुसार		**88,08,043.40**
	अन्तर		**3,37,700.00**

अन्तर का समाधान लेखापाल की रोकड़बही में निम्नवत् किया हुआ था:–

	₹	पै0
लेखापाल की रोकड़बही के अनुसार अन्तशेष	88,08,043	40
जोड़े (+) दिनांक 31.03.2010 तक निर्गत चेकों की राशि जिसकी कोषागार/बैंक खाते से निकासी नहीं की गई	3,37,700	00
उपरोक्त बैंक खातों एवं कोषागार खाते के अनुसार अन्तशेष	91,45,743.40	40

8. **आय–व्यय (बजट):–**

बिहार म्युनिसिपल ऐक्ट 2007 की धारा 82 के अन्तर्गत विहित प्रावधान के आलोक में नगर पंचायत के वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10 के लिये बजट तैयार कर नगर पंचायत के वार्ड सदस्यों की बैठक में पारित कराया गया। बजट के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि उक्त अवधि में नगर पंचायत के द्वारा घाटे का बजट पारित किया गया। विवरण निम्नांकित है:–

वित्तीय वर्ष	**वर्ष 2008–09 (₹में)**	**वर्ष 2008–09 (₹में)**	**वर्ष 2009–10 (₹में)**
कुल अनुमानित व्यय की राशि	अनुपलब्ध	2,88,08,600.00	3,47,66,600.00
कुल अनुमानित आय की राशि	तथैव	2,73,28,862.00	3,33,31,506.00
अनुमानित वित्तीय घाटा		(–) 14,79,738.00	(–) 14,35,094.00

बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के नियम 13 के अन्तर्गत वांछित न्यूनतम अन्तशेष का प्रावधान बजट के अन्तर्गत नहीं किया गया था जो उक्त नियम के प्रावधान की अवहेलना है।

9. **निरस्तः–**

10. आन्तरिक लेखापरीक्षा:–

नगर परिषद/नगर पंचायत की आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में प्रावधान किया गया है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा आयुक्तों की बैठक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नगर परिषद/नगर पंचायत के लेखों की आन्तरिक जॉच हेतु कई प्रावधान किये गये हैं ताकि लेखों के संधारण एवं समन्वय पर उचित नियंत्रण कायम हो एवं सम्भावित वित्तीय अनियमितताओं को रोका जा सके।

नगर पंचायत की लेखा पंजियों एवं अन्य अभिलेखों की जॉच के क्रम में यह देखा गया कि उपरोक्त किसी भी पदाधिकारी द्वारा आन्तरिक जॉच नहीं की गयी थी जिससे कई वित्तीय अनियमिततायें घटित हुयी जिनकी चर्चा अनुगामी कंडिकाओं में की गयी है।

यदि उपर्युक्त पदाधिकरियों द्वारा नियमित अन्तराल पर लेखों की आन्तरिक जॉच की गयी होती तो उल्लिखित वित्तीय अनियमिततायें नहीं होती और अन्य अनियमिततायें जो प्रकाश में नहीं आयी वे भी घटित नहीं होतीं।

अत: नगर पंचायत के उपर्युक्त पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुये यह सलाह दी जाती है कि उनके द्वारा नियत अन्तराल पर लेखा पंजियों एवं अन्य अभिलेखों की आन्तरिक जॉच की जाय ताकि वित्तीय अनियमिततायें को रोका जा सकें।

11. सरकारी अनुदान:–

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसकी अनुपलब्धता के कारण पूर्व का शेष, प्राप्तियों के साथ इन का योग, व्यय एवं अन्तशेष की जॉच सम्भव नहीं हो सकी। रोकड़बही की प्रविष्टियों एवं उपलबध पत्रों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2009–10 की अवधि में प्राप्त अनुदान के ऑकड़ो का विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट III में दिया गया है।

उपर्युक्त वांछित सूचनाओं एवं ऑकड़ों की प्रविष्टि के साथ अनुदान पंजी का संधारण कर आगामी लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

विभिन्न सरकारी अनुदानों का दिनांक 31.03.2010 तक उपयोग नहीं किया जा सका। अवशेष राशि निम्नांकित थी:–

क्रम संख्या	अनुदान का मद	उपयोग नहीं की जा सकी अनुदान की अवशेष राशि	
1	बारहवॉ वित्त के अन्तर्गत		
(क)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 50%	8,94,674.00	
(ख)	नगर प्रबन्ध कों का क्षमता वर्द्धन 1%	33,063.00	
(ग)	ई0 गवर्नेस 3%	50,992.00	
(घ)	पेय जलापूर्ति, पथनिर्माण, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाईटिंग इत्यादि	7,52,234.00	17,30,963.00
2	मुख्य मंत्री शहरी विकास योजना		2,59,327.00
3	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0)		20,48,168.00
4	पथों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार		2,12,757.00
5	माननीय विधायक की अनुशंसा पर राज्य सरकार के न0वि0वि0 पटना से प्राप्त चापानल अधिष्ठापन हेतु अनुदान		3,04,316.00
6	डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु		25,000.00
7	मुख्य पार्षद/ उपमुख्य पार्षद का नियत भत्ता, वार्ड पार्षदों का बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता हेतु प्राप्त अनुदान		84,800.00
	योग:–		**46,65,331.00**

उपर्युक्त उपयोग नहीं की जा सकी ₹46,65,331/– रूपये की सरकारी अनुदान की राशि का अनुदान की स्वीकृति की शर्तों के आधार पर उपयोग किया जाय ताकि अनुदान के उद्देश्य की पूर्ति हो सके और स्थानीय जनता अनुदान का वांछित लाभ प्राप्त कर सके।

12वें वित्त आयोग की अवधि अब समाप्त हो चुकी हैं फिर भी अभी इस मद के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की अवशेष राशि रूपये 17,30,963/– बिना उपयोग की पड़ी हुयी है। यदि निकट भविष्य में अनुदान का उपयोग करना सम्भव नहीं हो तो अवशेष राशि को अनुदान स्वीकृत करने वाले विभाग को लौटा दिया जाय तथा स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को इससे अवगत कराया जाय।

12. गृहकर इत्यादि का पुनरीक्षण नहीं:–

बिहार म्युनिसिपल ऐक्ट 1922 की धारा 106 (1) के प्रावधान के अनुसार गृहकर एवं अनुषंशी करों के निर्धारण का पुनरीक्षण प्रत्येक पॉचवे वर्ष में होना चाहिये लेकिन यह पाया गया कि उपरोक्त करों के निर्धारण का पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष 1996–97, वित्तीय वर्ष 2002–03 एवं 2008–09 में ही वाछित था लेकिन पुनरीक्षण नहीं हुआ। उपरोक्त करों के पुनरीक्षण की कार्रवाई की जाय।

13. गृहकर, शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की बकाया राशि:–

गृहकर शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10 तक की मॉग, वसूली एवं शेष को दर्शाने वाली विवरणी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट IV में दी गई है। दिनांक 31.03.2010 को बकाया की स्थिति निम्नलिखित थी:–

कम संख्या	कर/उपकर का नाम	बकाया राशि ₹ में
1	गृहकर	2,16,171.72
2	शिक्षा उपकर	79,672.00
3	स्वास्थ्य उपकर	1,08,024.41
	योग –	**4,03,868.13**

बकाया राशि की वसूली कर आगामी लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

14. वसूली गई राशि की प्रविष्टि रोकड़पाल की रोकड़बही में नहीं पायी गई:–

निम्नलिखित राशि नगर पंचायत के खाता संख्या 0685000100173418 में चालान संख्या 23 दिनांक 17.11.2009 के द्वारा जमा की गयी थी। जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित खाते के बैंक पासबुक में देखी गयी लेकिन उक्त राशि की प्रविष्टि रोकड़पाल की रोकड़बही में नहीं पायी गई:–

कम संख्या	बस पड़ाव रसीद संख्या	वसूली की तिथि	वसूली गयी राशि ₹ में	चालान सख्या एवं जमा की तिथि
1	01 से 2149	01.04.09 से 31.05.09 तक	64,470.00	23 दिनांक 17.11.2009
2	01 से 871	– तथैव–	21,775.00	–तथैव–
3	01 से 767	–तथैव–	11,505.00	–तथैव–
4	01 से 453	–तथैव–	2,265.00	–तथैव–
		योग –	**1,00,015.00**	

रोकड़पाल की रोकड़बही में प्रविष्टि नहीं किया जाना बिहार म्युनिसिपल एकाउन्टस रूल– 1928 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

15. बकाया दुकान किराया:–

नगर पंचायत की दूकानों के आबंटियों के विरूद्ध दिनांक 31.03.2010 तक कुल ₹2,47,050/– बकाया पड़े हुये थे जिसका विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट –V में दिया गया है। उक्त बकाया राशि की वसूली कर आगामी लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

16. सरकारी भवनों के विरूद्ध गृहकर इत्यादि की बकाया राशि:–

सरकारी भवनों के विरूद्ध गृहकर इत्यादि की दिनांक 31.03.2010 तक की कुल बकाया राशि ₹91,631.75 थी। विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट–VI में दिया गया है। उक्त राशि की वसूली हेतु संबंधित विभागों के सक्षम पदाधिकारियों से पत्राचार एवं व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर बकाया गृहकर इत्यादि की राशि की वसूली कर आगामी लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

17. **भयावह एवं खतरनाक तिजारत की अनुज्ञप्ति शुल्क की बकाया राशि :–**

भयावह एवं खतरनाक तिजारत की अनुज्ञप्ति शुल्क की दिनांक 31.03.2010 तक की कुल बकाया राशि ₹65,262/– थी। विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट –VII में दिया गया है। उक्त राशि की वसूली कर आगामी लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

18. **बन्दोबस्ती धारकों से तीन प्रतिशत स्टैम्प फीस की राशि की वसूली नहीं:–**

प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 1920–रे– दिनांक 14.08.02 एवं सचिव सह महा निरीक्षक, निबन्धन के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार सफल डाक वक्ता से तीन प्रतिशत मुद्रांक शुल्क जो बन्दोबस्ती की राशि पर लगाया जायेगा वसूल कर कोषागार में मुद्रांक शुल्क शीर्ष में जमा किया जायेगा। लेकिन यह देखा गया कि डाक द्वारा की गई बन्दोबस्ती के मामलों में बन्दोबस्ती धारकों से उपरोक्त तीन प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की राशि वसूल नहीं की गई थी जिसके कारण राज्य सरकार को इस मद में कुल ₹1,12,660.53 की राजस्व की क्षति हुयी। विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट–VIII में दिया गया है।

उपर्युक्त राशि की वसूली संबंधित बन्दोबस्तीधारकों (सफल डाक बक्ताओं) से अथवा वसूली नहीं करने वाले उत्तरदायी व्यक्तियों से की जाय तथा वसूल की गयी राशि को राज्य सरकार के कोषागार में मुद्रांक शुल्क लेखा शीर्ष में जमा कर आगामी लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

19. **शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि राज्य सरकार के खाते में जमा नहीं:–**

नगर पंचायत द्वारा वसूल की गयी शिक्षा उपकर की राशि ₹2,56,575.70 (₹2,85,083–₹28,508) उपकर की राशि ₹2,31,057.00 (₹2,56,730–₹25,673) राज्य सरकार के खाते में दस प्रतिशत वसूली प्रभार काटकर जमा नहीं की गयी जिससे राज्य सरकार को कुल ₹4,87,632.00 के राजस्व की क्षति हुयी। विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट IV में दिया गया हैं। शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की उपरोक्त राशियों को राज्य सरकार के संबंधित लेखा शीर्ष में जमाकर आगामी लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

20. **स्वामित्व, वाणिज्यकर (वैट) एवं आयकर की कटौती की गई राशि सरकारी खाते में जमा नहीं:–**

यह देखा गया कि विभिन्न योजनाओं में स्वामित्व, मूल्य वर्द्धितकर (वैट) एवं आयकर की कटौती की गई राशि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के खाते में संबंधित लेखा शीर्ष में जमा नहीं की गयी थी। विवरण निम्नांकित हैं:–

1	स्वामित्व (रायल्टी) की राशि	₹68,371.00
2	मूल्य वर्द्धित कर (वैट) की राशि	₹1,54,646.00
3	आयकर की राशि	₹1,98,629.00
	योग–	₹4,21,646.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट IX में दिया गया है)।

स्वामित्व की राशि राज्य सरकार के खान एवं खनन विभाग को एवं वैट की राशि वाणिज्य कर विभाग को जमा की जाय। आयकर की राशि को केन्द्र सरकार के खाते में संबंधित लेखा शीर्ष में जमा किया जाय तथा इसकी सूचना स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को दी जाय।

(86

21. **श्रमिक उपकर की कटौती नहीं:–**

योजना संख्या	01/2008–09
योजना का नाम	नगर पंचायत, हिसुआ के सभी 17 वार्डों में दो–दो चापानल निर्माण योजना
प्राक्कलित राशि	₹36,780/– प्रति चापानल ₹36780/- x 34 चापानल = ₹12,50,520/-
निविदा की राशि	₹12,50,520/–
संवेदक का नाम एवं पता	श्री सुबोध कुमार पिता श्री सच्चिदानन्द सिंह ग्राम–महम्मदपुर, पोस्ट– हिसुआ, जिला नवादा
मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य का मूल्य	₹10,68,208.00
संवेदक को किया गया भुगतान	₹10,68,208.00

लेखापरीक्षा टिप्पणियॉं:–

1. संवेदक ने ₹12,50,520/– की निविदा दी थी जिसे नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत एवं मुख्य पार्षद के द्वारा अनुमोदित किया गया था लेकिन स्वीकृत निविदा की राशि ₹12,50,520/– के विरूद्ध मात्र ₹10,68,208/– का ही कार्य संवेदक के द्वारा किया गया। इस प्रकार, ₹1,82,312/– मूल्य का कार्य हुआ ही नहीं और योजना अपूर्ण रह गयी। योजना के अपूर्ण रहने के बावजूद भी संवेदक को ₹10,68,208/– के किये गये कार्य के मूल्य का भुगतान कर दिया गया। कार्य अपूर्ण छोड़ देने के लिये संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। योजना को पूर्ण मानकर अन्तिम भुगतान कर दिया गया जो उचित नहीं था।

2. प्रत्येक वार्ड में दो चापानल लगाये जाने से संबंधित प्रामण पत्र उस वार्ड विशेष की निवासी जनता, वार्ड सदस्य, कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य पार्षद द्वारा नहीं दिया गया था जिससे चापानल लगाये जाने संबंधी कार्य की सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकी।

3. प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, पटना के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या– बी0सी0डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया जा चुका हैं कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिये कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिये बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 18.02.08 को किया जा चुका हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं तदुपरान्त ली गयी योजनाओं के कुल लागत का 1प्रतिशत श्रम उपकर के रूप में कटौती कर संयुक्त श्रमायुक्त–सह–सचिव, बिहार एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, विकास भवन पटना – 800015 को कॉस्ड डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जो भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना में देय हो जमा करना था। लेकिन उक्त योजना में 1 प्रतिशत श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई जिससे बिहार एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को कुल ₹10682.00 (₹10,68,208 x 1% = 10,682.80) के राजस्व की क्षति हुयी। उक्त राशि की वसूली कर बिहार एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कर्मकार बोर्ड, विकास भवन, बिहार एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कर्मकार बोर्ड, विकास भवन , पटना में जमा किया जाय।

लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का समुचित जबाव स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को प्रेषित किया जाय तबतक ₹10,57,526.00 (₹10,68,208 – 10,682/- = 10,57,525/–) के भुगतान को लेखा परीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

22. **निरस्त:–**

23. **अपूर्ण योजना में निष्फल व्यय:–**

योजना संख्या	06/2008–09
योजना का नाम	हिसुआ ब्लॉक के सामने पोखर में पार्क का निर्माण।
संवेदक का नाम	श्री प्रधुम्न कुमार
प्राक्कलित राशि	₹7,34,500/–

निविदा की राशि	₹6,24,325/–
मापी पुस्तिका की राशि	₹6,10,509/–
संवेदक को भुगतान की गई राशि	₹6,10,509/–
योजना की भौतिक स्थिति	अपूर्ण

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ:–

उपर्युक्त योजना वित्तीय वर्ष 2008–09 में शुरू की गई थी। योजना में संवेदक को मापी पुस्ति में दर्ज किये गये कार्य मूल्य के अनुसार कुल ₹6,10,509/– का भुगतान कर दिया गया लेकिन लेखा परीक्षा की अन्तिम तिथि (दिनांक 31.03.2011) तक योजना अपूर्ण पायी गयी। पार्क का निर्माण नहीं हो सका। योजना को पूर्ण नहीं किये जाने का कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया। लगभग तीन वर्षों के बीत जाने के बाद भी योजना को पूरा नहीं किया जाना कार्य के प्रति संवेदक की उदासीनता को दर्शाता हैं। निविदा की लगभग पूरी राशि (मात्र ₹13816/– छोड़कर) संवेदक को भुगतान की जा चुकी है। फिर भी योजना अपूर्ण रह गयी। अपूर्ण रह जाने के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और योजना में किया गया ₹6,10,509/– का व्यय निष्फल हो गया।

इस संबंध में उचित कारवाई की जाय तथा की गई कार्रवाई से स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

24. मूल्य वर्द्धित कर (वैट) की कटौती नहीं किये जाने के कारण अधिक भुगतान:–

श्री राम इंजिनियरिंग ट्रैक्टर्स, नवादा, बिहार से नगर पंचायत के द्वारा एच0एम0टी0–350 ट्रैक्टर्स खरीदा गया जिसका ट्रैक्टर सिरियल नम्बर 11201, ईंजन संख्या 56174 एवं चेसिस संख्या 10595 था। बिक्रेता को उनके विपत्र संख्या एस0आर0ई0टी0/06–07/77 दिनांक 06.03.07 के विरूद्ध ₹3,57,458/– का भुगतान अभिश्रव संख्या 09/ 2007–08 के अनुसार किया गया। बिहार वैट अधिनियम 2005 के अनुसार श्रोत पर ही मूल्य वर्द्धित कर (वैट) की कटौती कर लेनी है लेकिन विक्रेता के उपरोक्त विपत्र से 4% वैट अर्थात् ₹13748/– की कटौती नहीं की गयी। परिणाम स्वरूप, विक्रेता को उतनी ही राशि का अधिक भुगतान हुआ। भुगतान करने वाले उत्तरदायी व्यक्तियों से ₹13,748/– की वसूली कर राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग को जमा किया जाय तथा आगामी लेखा परीक्षा को दिखाया जाय।

25. शहर की विशेष सफाई पर व्यय:–

लेखापरीक्षा अवधि में नगर पंचायत क्षेत्र की विशेष सफाई पर निम्नांकित व्यय किये गये:–

वित्तीय वर्ष	**व्यय की गई राशि ₹ में**
2007–08	73,844.00
2008–09	1,47,238.00
2009–10	2,47,771.00
योग –	**4,68,853.00**

सफाई कार्य में लगे मजदूरों का मस्टर रौल, स्थानीय जनता का इस आशय का प्रमाण–पत्र कि साफ सफाई का कार्य हुआ था अथवा नहीं इस सम्बन्ध में संबंधित वार्ड सदस्य, कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे कराये गये विशेष सफाई कार्य की सत्यता की जॉच लेखा परीक्षा के द्वारा नहीं की जा सकी। उपर्युक्त कागजातों को आगामी लेखा परीक्षा को दिखाया जाय तब तक भुगतान की गयी ₹4,68,853/– की राशि अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

26. नगर पंचायत के कर्मचारियों को अति पुराना बकाया वेतन का भुगतानः–

नगर पंचायत के कर्मचारियों को बकाया वेतन के रूप में कुल ₹12,79,857/– का भुगतान किया हुआ पाया गया। विवरण निम्नांकित है:–

वित्तीय वर्ष	बकाया भुगतान की राशि ₹ में	बकाया की अवधि
2008–09	10,48,067.00	18 जुलाई 1986 से 2002–03
2009–10	2,31,790.00	
योग –	**12,79,857.00**	

नगर पंचायत में अडिट रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पूर्व में उक्त बकाया का भुगतान हुआ था अथवा नहीं। इस संबंध में राज्य सरकार का आदेश, संबंधित अवधि की वेतन वितरण पंजी, वेतन निर्धारण तालिका इत्यादि लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। उपर्युक्त आवश्यक लेखा पंजियों एवं कागजातों को आगामी लेखापरीक्षा के समक्ष जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाय तबतक उपरोक्त ₹12,79,857/– के भुगतान को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

27. रात्रि प्रहरी को अनियमित भुगतानः–

नगर पंचायत, हिसुआ, में रात्रि प्रहरी का पद राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं है फिर भी श्री अर्जुन प्रसाद एवं श्री राज बहादुर सिंह से रात्रि प्रहरी का कार्य कराया गया और उन्हें निम्नांकित भुगतान किये गये:–

श्री अर्जुन प्रसाद को भुगतान	₹4,500.00
श्री राज बहादुर सिंह को भुगतान	₹22,350.00
योग –	**₹26,850.00**

(विस्तृत विवरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट X में दिया गया है।)

रात्रि प्रहरी के पद की स्वीकृति राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना से ली जाय तबतक भुगतान की गयी उपर्युक्त ₹26,850.00 की राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

28. स्वीकृत पद एवं उनके विरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों की स्थितिः–

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के पत्रांक 4–20/5/2745 दिनांक 18 जुलाई 1986 के अनुसार नगर पंचायत, हिसुआ, जिला– नवादा के लिये प्रतिवर्ष नवीकरण किये जाने की शर्त पर निम्नांकित पद सृजित किये गये थे:–

कम संख्या	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	कार्यालय सहायक	535–765	1 पद
2	टैक्स दरोगा	425–605	1 पद
3	सफाई कर्मी	350–425	5 पद
		योग –	**7 पद**

राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा उपरोक्त पदों की स्वीकृति प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष 2004–05 तक दी जाती रही। तदनन्तर बिहार सरकार के उप सचिव–सह–निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के पत्रांक 4753 दिनांक 10.09.08 के द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 1408 दिनांक 13.06.1974 के कम में उपरोक्त अस्थायी रूप से स्वीकृत पदों की स्थायी स्वीकृति प्रदान की गयी जिसका विवरण निम्नांकित है:–

कम संख्या	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	प्रधान लिपिक सह लेखापाल	1320–2040	1
2	टैक्स दरोगा	975–1540	1

(43)

3	मेहतर/मेहतरानी	775–1025	5
		योग –	**7 पद**

नगर पंचायत के कार्य विस्तार एवं क्षेत्र विस्तार को देखते हुये कुछ आवश्यक पदों यथा कर संग्रहकर्त्ता, कार्यालय सहायक/कम्प्युटर संचालक, सफाई कर्मियों इत्यादि के अतिरिक्त पदो के सृजन/स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना से अनुरोध किया जा सकता है।

29. अति पुराना बकाया अग्रिमः–

अग्रिम पंजी की जॉच से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 1992–93 से पूर्व की दी हुयी ₹1,74,168.75 की अग्रिम की राशि लेखा परीक्षा की अन्तिम तिथि तक बकाया/असमायोजित पड़ी हुयी थी। विवरण निम्नांकित हैः–

क्रम संख्या	अग्रिम धारक का नाम	अग्रिम की राशि ₹ में	अग्रिम प्रदान करने का वर्ष
1	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, भूतपूर्व कनीय अभियन्ता	38,400.00	वित्तीय वर्ष 1992–93 से पूर्व का।
2	श्री देवलांश प्रसाद, भूतपूर्व प्रधान सहायक	10,768.75	–तथैव–
3	श्री इन्द्रदेव महतो, चेयरमैन गला जिला सुलभ शौचालय संस्थान	1,25,000.00	–तथैव–
	योग–	**1,74,168.75**	

उपर्युक्त अग्रिम की राशि अति पुरानी है। इस राशि के समायोजन/वसूली की कार्रवाई की जाय तथा की गई कार्रवाई के प्रतिफल से स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

30. कार्यपालक के साथ चर्चाः–

लेखापरीक्षा के मुख्य बिन्दुओं पर लेखा परीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात् मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी से चर्चा की गयी।

31. लेखा परीक्षा का परिणाम :–

अंकेक्षण का परिणाम निम्नानुसार हैं :–

(i)	लेखा परीक्षा के दौरान जमा करायी गयी राशि	शून्य
(ii)	वसूली हेतु प्रस्तावित राशि	₹18,54,180.21
(iii)	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	₹28,33,085.20

(विस्तृत विवरण पिरिशिष्ट – **XI** में दिया गया है।)

32. सामान्य अभ्युक्ति :–

नगर पंचायत के लेखा संधारण में काफी सुधार की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण लेखा पंजियों यथा अनुदान पंजी, ऋण पंजी, ऋण विनियोग पंजी, रोकड़पाल की सहायक रोकड़पंजी (सब्सीडियरी कैश बुक), वार्षिक लेखे एवं जमाबंदी पंजी इत्यादि संधारित नहीं पाया गया। उपर्युक्त लेखा पंजियों का संधारण निश्चित रूप से किया जाय। गृहकर एवं अनुषंगी करों के पुनरीक्षण की कार्रवाई की जाय ताकि नगर पंचायत की आय में वृद्धि हो सके।

(ज्वाला प्रसाद तिवारी)

आई0पी0ए0आई0

82

सं0एल0ए0/अधिमार/ **दिनांकः–**

मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, हिसुआ, जिला नवादा को अग्रसारित करते हुये अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को वार्ड पार्षदों की बैठक में रखा जाय तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के अन्दर भेजा जाय।

ह0/-

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिमार

ज्ञापांकः– एल0ए0/अधिमार 248 **दिनांक–** 15.09.2011

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार , पटना।
2. जिला पदाधिकारी, नवादा, बिहार
3. स0ले0प0अ0/अधिमार

पंकज
15/9/11

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिमार

परिशिष्ट I

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गये / नमूना जाँच किये गये अभिलेखों / लेखापंजियों को दर्शाने वाली विवरणी।

(लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 3 में सन्दर्भित)

1. लेखापाल की रोकड़ बही
2. रोकड़ पाल की रोकड़ बही
3. बैंक जमा पर्ची
4. बैंक स्टेटमेन्ट / बैंक पास बुक
5. दैनिक संग्रह पंजी
6. रसीद बहियाँ (गृहकर एवं अनुपंगी उपकर, खतरनाक एवं व्यावसायिक तिजारत, बाजार वसूली एवं बस स्टैण्ड की वसूली इत्यादि से संबंधित)
7. बस स्टैण्ड इत्यादि की बन्दोबस्ती से संबंधित संचिकायें बीड शीट इत्यादि
8. मिसलेनियस रसीद बहियाँ
9. रसीद बहियों की भंडार पंजी
10. स्टेशनरी एवं स्थायी प्रकृति के सामानों की भंडार पंजी
11. बजट
12. वेतन वितरण पंजी
13. अग्रिम पंजी
14. योजना पंजी एवं योजना संचिकायें
15. अभिश्रव इत्यादि
16. अनुदान पंजी

प्रभारी तिवारी
आई.पी.ए.आई.

परिशिष्ट 1 (क)

लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये / संधारित नहीं किये गये अभिलेखों / लेखा पंजियों को दर्शाने वाली विवरणी।

(लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 3 में सन्दर्भित)

1. सहायक रोकड़ पंजी
2. आडिट रजिस्टर
3. ऋण पंजी
4. ऋण विनियोजन पंजी
5. वार्षिक लेखे
6. अनुदान पंजी
7. जमाबन्दी रजिस्टर
8. वेतन निर्धारण तालिका

उ०प्र०तिवारी
आई०पी०ए०आई०

परिशिष्ट II

(लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 6 में संदर्भित)

Name of Local Body : NAGAR PANCHAYATA, HISUA (NAWADA)

Actual Receipts & Expenditure of the financial year - 2007-08

S. No.	Receipts		Amount
1	2		3
A	Municipal Taxes. House Tax	Arrear	1,13,193=40
		Current	23,272=80
	E/Cess	Arrear	51,164=85
		Current	10,213=00
	H/Cess	Arrear	56,632=05
		Current	11,652=90
		Total	2,66,129=00
B	Revenue from Municipal Property. Market settlement		2,20,000=00
	Kanji House Settlement		—
	Bus-Stand Settlement		9,36,410=00
	Sulabh Shauchalaya Settlement		42,101=00
	Shop Rent		35,000=00
	Slaughter House		--
			—
			—
			—
	Total		12,33,511=00

S. No.	Expenditure		Amount
1	2		3
A	General Administration Office establishment		75,952=00
	Allowance of Ex. Officer		—
	Office contingency		32,307=00
	Collection establishment		75,952=00
	Stationlary		2,695=00
	Refund		—
	T.A		—
	Total		1,86,9[illegible]
B	Public Health Conservancy establishment .		2,24,255=00
	Conservancy Misc.		—
	Total		2,24,[illegible]
	(ii) Drainage work	Original	—
		Repair	—
	Water work	Wats work	1,55,585=00
	Special Town Sanitition work.		73,844=00
			—
	Total		2,29,429=00

79

78

Name of Local Body : NAGAR PANCHAYATA, HISUA (NAWADA)

Actual Receipts & Expenditure of the financial year -

S. No.	Receipts	Amount
1	2	3
C	Municipal Regt. Lices. Others. Mutation fees	15=00
	Rickshaw regt. Settlement	—
	Lic. From O & D	2050=00
	House Plan fees	6,150=00
	Certified copy fees	—
	Total	8,2[illegible]5=00
D	Fee under Spl. Act B & D Regt. fees	440=00
	Total	440=00
E	Fees Water connection charges	—
	Road cutting charges.	—
	Nomination fee for Nag. Pan. Election 07	32,800=00
	Price of Voterlist	3,180=00
		—
		—
		—
		—
	Total	35,980=00

S. No.	Expenditure	Amount
1	2	3
C	Public convenience Establishment	—
	Building Work	—
	Road/Lane/Culvert	—
	Total	NIL
D	Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana	—
	National slum Dev. Programme	—
	12th finance commision grant	53,458=00
	Negariye Aadharbhoot Sanrachana	—
	Construction of Road.	4,00,000=00
	Purchasing of Hydrollic Tractor	4,25,000=00
		—
		—
		—
		—
		—
		—
	Total	8,78,458=00

Name of Local Body : NAGAR PANCHAYATA, HISUA (NAWADA)

Actual Receipts & Expenditure of the financial year -

S. No.	Receipts	Amount
1	2	3
F	Govt. grants, constribution for Gl. & spl. Add. Stamp Duty	—
	Water supply	12,50,520=00
	SJSRY	5,51,242=00
	NSDP	—
	12th finance commission	8,60,640=00
	Nagariya Aadharbhoot Sanrachana	—
	Construction of Roads	—
	Prepartion of D.P.R.	—
	Preparation of BPL survey	26,045=00
	Purchasing of Hydrolic Tractor	—
	शीतलहर से बचाव	1,000=00
	कबीर अंत्येष्टि योजना	51,000=00
		—
		—
		—
		—
	Total	27,40,447=00

S. No.	Expenditure	Amount
1	2	3
E	Misc. Law establishment charge	—
	Printing charges	92,365=00
	By Bank commission	2,194=00
	Payments of E/cess & H/cess to Govt.	—
	P/F deduction & contribution	25,486=00
	Cheque Book issuing charges	250=00
	Advertisement charges	19,608=00
	Payments of Royality to concern Department	—
	Arrear Payment of employees of Nagar Panchayat. Hisua	—
	Preparation of BPL survey	18,987=00
	Payments of VAT to Concern Department	—
	Postage stamp	223=00
	Election work	16,450=00
		—
		—
		—
	Total	1,75,563=00

76

Name of Local Body : NAGAR PANCHAYATA, HISUA (NAWADA)

Actual Receipts & Expenditure of the financial year -

S. No.	Receipts	Amount
1	2	3
G	Misc. Loan	—
	Price of Forms	575=00
	Interest	23,247=00
	Refund	—
	Total	23,822=00
H	Extra Ordinary & debt Advance	—
	Deposite	2,26,750=00
		—
		—
	Total	2,26,750=00
	GRAND TOTAL	45,35,294=00
	O.B.	39,89,606=46
	GRAND TOTAL	85,24,900=40

S. No.	Expenditure	Amount
1	2	3
F	Extra Ordinary & Debt. Advance	—
	Deposite	—
	Repayments of Loan	—
		—
		—
		—
		—
		—
		—
	Total	NIL
	GRAND TOTAL	16,94,611=00
	C.B.	68,30,289=40
	GRAND TOTAL	85,24,900=40

28/3/11

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, हिसुआ
(नवादा)

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, हिसुआ
(नवादा)

4982/21/02 II

75

Name of Local Body : NAGAR PANCHAYATA, HISUA (NAWADA)

Actual Receipts & Expenditure of the financial year - 2008-09

S. No.	Receipts		Amount
1	2		3
A	Municipal Taxes. House Tax	Arrear	66,704=50
		Current	13,581=60
	E/Cess	Arrear	33,361=65
		Current	6,799=40
	H/Cess	Arrear	33,361=65
		Current	6,799=40
	Total		1,60,608=20
B	Revenue from Municipal Property. Market settlement		2,25,535=00
	Kanji House Settlement		2,500=00
	Bus-Stand Settlement		6,07,550=00
	Sulabh Shauchalaya Settlement		—
	Shop Rent		—
	Slaughter House		—
			—
			—
			—
	Total		8,35,585=00

S. No.	Expenditure		Amount
1	2		3
A	General Adminisration Office establishment		1,27,620=00
	Allowance of Ex. Officer		—
	Office contingency		15,512=00
	Collection establishment		1,28,432=00
	Stationlary		843=00
	Refund		6,30,250=00
	T.A.		1,507=00
	Total		9,04,164=00
B	Public Health Conservancy establishment .		4,20,171=00
	Conservancy Misc.		6,106=00
	Total		4,26,277=00
	(ii) Drainage work	Original	—
		Repair	—
	Water work	Wats work	2,39,791=00
	Special Town Sanitition work		1,47,238=00
			—
	Total		3,87,029=00

74

Name of Local Body : NAGAR PANCHAYATA, HISUA (NAWADA)

Actual Receipts & Expenditure of the financial year -

S. No.	Receipts	Amount
1	2	3
C	Municipal Regt. Lices. Others. Mutation fees	—
	Rickshaw regt. Settlement	13,800=00
	Lic. From O & D	4,055=00
	House Plan fees	7,170=00
	Certified copy fees	—
	Total	25,025=00
D	Fee under Spl. Act B & D Regt. fees	965=00
	Total	965=00
E	Fees Water connection charges	—
	Road cutting charges.	—
	Contractor Regt. fee	1,82,500=00
	Mobile Tower establ. fees.	1,60,000=00
	Right of Information fee	312=00
		—
		—
		—
	Total	3,42,812=00

S. No.	Expenditure	Amount
1	2	3
C	Public convenience Establishment	—
	Building Work	—
	Road/Lane/Culvert Underscheme BRGF	8,19,462=00
	Total	—
	Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana USEP SUME	1,12,500=00
	National slum Dev. Programme	32,357=00
	12th finance commision grant	5,18,828=00
	Negariye Aadharbhoot Sanrachana	—
	Construction of Road. Under M.S.V. Yojana	5,21,012=00
	Improvements of Roads	8,98,826=00
D	'कबीर अंत्येष्टि योजना	51,000=00
		—
		—
		—
		—
		—
	Total	29,53,985=00

Name of Local Body : NAGAR PANCHAYATA, HISUA (NAWADA)

Actual Receipts & Expenditure of the financial year -

S. No.	Receipts	Amount
1	2	3
	Govt. grants, constribution for Gl. & spl. Add. Stamp Duty	—
	Water supply	—
	SJSRY	—
	NSDP	—
	12th finance commission	4,30,321=00
	Nagariya Aadharbhoot Sanrachana	—
	Construction of Roads	—
	Prepartion of D.P.R.	—
F	**Preparation of BPL survey**	—
	18वीं पशु गणना मानदेय	9,438=00
	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (BRGF)	19,78,000=00
	मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना	20,02,400=00
	कबीर अंत्येष्टि योजना	51,000=00
	कर्मचारियों का वेतन अनुदान (80%)	2,37,331=00
	मैचींग ग्रांट	5,75,300=00
	मुख्यपार्षद, उपमुख्यपार्षद, वार्डपार्षद भत्ता	72,600=00
	Total	53,56,390=00

S. No.	Expenditure	Amount
1	2	3
	Misc. Others	3061=00
	Printing charges	2400=00
	By Bank commission	3725=00
	Payments of E/cess & H/cess to Govt.	—
	P/F deduction & contribution	55,398=00
	Cheque Book issuing charges	180=00
	Advertisement charges	80,906=00
	Payments of Royality to concern Department	—
E	**Arrear Payment of employees of Nagar Panchayat, Hisua**	10,48,067=00
	Preparation of BPL survey	—
	Payments of VAT to Concern Department	—
	Postage stamp	70=00
	4% Commission of Tax collecting Agent	5,395=00
	शीतलहर से बचाव	1,000=00
	सुलभ शौचालय मरम्मत्ति कार्य	6,846=00
	उपस्करों का क्रय	54,562=00
	Total	12,61,610=00